जलवायु परिवर्तन की उपेक्षा के लिए सरकार पर मुकदमा

नेदरलैंड के एक पर्यावरण समूह ने वहां की सरकार पर मुकदमा ठोका है कि वह ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है। याचिका में कहा गया है कि ऐसा करके सरकार अपने नागरिकों को जानबूझकर खतरनाक परिस्थिति में रहने को विवश कर रही है।

अर्जेंडा पर्यावरण समूह ने नेदरलैंड की सरकार पर 900 नागरिकों की ओर से यह मुकदमा दायर किया है। समूह अदालत से अनुरोध कर रहा है कि वह यह घोषित करे कि वैश्विक तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा की वृद्धि हुई तो यह दुनिया भर में मानव अधिकारों का उल्लंघन होगा। जलवायु परिवर्तन पर सरकारों की अंतर्राष्ट्रीय समिति के मुताबिक यदि 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि को टालना है तो देशों को 2020 तक अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 25-40 प्रतिशत तक कम करना होगा। मगर युरोपीय संघ ने 2030 तक मात्र 40 प्रतिशत की कटौती का आश्वासन दिया है।

यह मुकदमा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसका मतलब यह है कि यदि सरकारें अपना दायित्व ज़िम्मेदारीपूर्ण तरीके से नहीं निभाती हैं तो पर्यावरण समूह और नागरिक अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। पर्यावरण कानून कंपनी क्लाएंट अर्थ के जेम्स अरेंडेल का विचार है कि यदि अर्जेंडा यह मुकदमा जीत जाता है तो इसका विश्व व्यापी असर होगा। दुनिया भर के कई पर्यावरण समूह अर्जेंडा के रास्ते पर चल सकते हैं। बेल्जियम का एक समूह ऐसी कानूनी कार्रवाई पर विचार भी कर रहा है।

मुकदमे में अदालत को प्रमुख रूप से इस बात पर विचार करना है कि क्या ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना सरकार का कानूनी दायित्व है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही जलवायु परिवर्तन वार्ता का परिणाम कुछ भी निकले। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय कानून विशेषज्ञों के एक दल ने ओस्लो सिद्धांतों का प्रकाशन किया है जो जलवायु की रक्षा के मामले में सरकारों के कानूनी दायित्व निर्धारित करते हैं। ***(स्रोत फीचर्स)***